पांच एकड़ से लेकर 10 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे

यूपी में छोटे-छोटे क्लस्टर में बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र

तैयारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश में उद्योग लगाने वालों को अब भूमि के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है, जिससे उन्हें मनचाहे स्थानों पर भूमि के साथ सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए छोटे-छोटे औद्योगिक कलस्टर विकसित किए जाएंगे। जरूरत के आधार पर पीपीपी मोड पर भी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इसके लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण लोगों से करार करेंगे और पांच से लेकर 10 एकड़ में भूमि की व्यवस्था करेंगे।

राज्य सरकार इन दिनों प्रदेश में निवेश को बढ़ाने में जुटी हुई है। इसके लिए औद्योगिक घरानों को न्यौता भेजा जा रहा है कि वे यहां आकर अपना उद्योग लगाएं। उन्हें इसके लिए किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। औद्योगिक विकास विभाग का मानना है कि उद्योग लगाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत भूमि की है। भूमि ऐसे स्थानों पर चाहिए, जहां आने-जाने का रास्ता हो और सभी तरह की सुविधाएं मिल सकें। इसीलिए शहरी सीमा से सटे क्षेत्रों में भूमि का इंतजाम करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसके लिए किसानों के साथ आम लोगों से सीधे संपर्क करेंगे और कहेंगे कि वे प्रदेश के विकास में भागीदार बने। इसके एवज में उनसे भूमि ली जाएगी और और उन्हें मुआवजा देने के साथ ही सुविधाएं दी जाएंगी। भूमि जुटाने में किसानों या फिर लोगों को विकसित भूमि का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। इस भूमि को अपने हिसाब से या तो बेच सकेंगे या फिर स्वयं अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। औद्योगिक विकास विभाग का मानना है कि इसके एवज में लोग अपनी भूमि देना पसंद करेंगे। अधिकतर किसान अपनी भूमि बेचकर वहां से विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। उन्हें जब साझीदार बनाने की बात की जाएगी तो वे आसानी से अपनी भूमि देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे उनके और उनके परिवार के लिए भी रोजगार की राह खुलेगी।

05-10

एकड़ भूमि ली जाएगी और प्रदेश में छोटे-छोटे औद्योगिक कलस्टर विकसित किए जाएंगे।

समझौते के आधार पर पांच से 10 एकड़ भूमि

इसीलिए उच्च स्तर पर तय किया गया है कि समझौते के आधार पर पांच से 10 एकड़ भूमि ली जाए और छोटे-छोटे औद्योगिक कलस्टर विकसित किए जाएंगे। ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में छोटी-छोटी इकाइयां लग सकेंगी। खासकर एमएसएमई के तहत चलने वाले उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। इन औद्योगिक क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों द्वारा सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सड़क, नाली, जलापूर्ति के साथ बिजली की व्यवस्था की जाएगी, जिससे छोटे उद्योगों के तुरंत लगाने की राह आसान होगी।